

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 144

बुधवार, 29 मार्च, 2017/8 चैत्र, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. प्रश्नोत्तर:

(i) तारांकित प्रश्न:

तारांकित प्रश्न संख्या 3975 से 3980 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3981 से 4027 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्न:

अतारांकित प्रश्न संख्या 1698 से 1712 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **कागजात सभा पटल पर:**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;
- (ii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 18.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2016 को प्रकाशित;
- (iii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 16.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.04.2015 को प्रकाशित; और
- (iv) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एग्र.ए.-बी(2)-2/2015 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2017 को प्रकाशित;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एग्र.ए.-बी(2)-2/2014 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2017 को प्रकाशित;
- (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;
- (iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
- (vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सप्लाई कोड, 2009) विद्युत सप्लाई कोड समीक्षा पेनल को पुर्नगठित करने बारे) जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 (सप्लाई कोड) दिनांक 22.03.2016

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.03.2016 को प्रकाशित;

- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व एवं इसकी अनुपालना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 30.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.03.2016 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ शुल्क के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 दिनांक 11.04.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.04.2016 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (क्रॉस रियायती अधिभार, अतिरिक्त और क्रॉस रियायती अधिभार को चरणबद्ध करने बारे) (प्रथम् संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/391 दिनांक 10.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.11.2016 को प्रकाशित; और
- (xi) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/419 दिनांक 23.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित।

((vii) से (xi) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है)

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 177वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 178वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 179वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/कार्यों के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति का **26वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है।
- (3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-
- (i) समिति का **71वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम** से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (वर्ष 200-10) के ऑडिट पैरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है।

व्यवस्था का प्रश्न

डा० राजीव बिन्दल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। बद्दी में बिब्रेजिज़ कॉरपोरेशन का डिपो है और किसी भी डिपो से बिना पेमेंट से शराब ज़ारी नहीं हो सकती। परन्तु बद्दी के डिपो से राजनैतिक आधार पर 4 करोड़ रुपए की शराब बिना पेमेंट लिए कुछ ठेकेदारों को ज़ारी की गई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बहुत गम्भीर विषय है और सरकार इसकी तरफ गम्भीरता से ध्यान दे। बिब्रेजिज़ कॉरपोरेशन के माध्यम से बहुत सारे इस तरह के मामले उठ रहे हैं। मुझे इतना ही आपके माध्यम से कहना था।

माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने उत्तर में कहा :

"माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा यह मेरे ध्यान में नहीं है। इन्होंने बताया है, इसकी जाँच की जाएगी और देखा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

4. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

मांग संख्या : 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 22,60,77,70,000/-रूपए और 4,89,66,16,000/-रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या: 13 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, बिक्रम सिंह, डा0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द सिंह ठाकुर, वीरेन्द्र कंवर, कृष्ण लाल ठाकुर और श्री गोविन्द राम शर्मा की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

- 1.) श्री महेन्द्र सिंह
- 2.) डा0 राजीव बिन्दल

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

मांग संख्या: 13 पर चर्चा जारी...

- 3.) श्री विजय अग्निहोत्री
- 4.) श्री इन्द्र सिंह
- 5.) श्री बिक्रम सिंह
- 6.) श्री महेश्वर सिंह
- 7.) श्री रिखी राम कौंडल
- 8.) श्री जय राम ठाकुर
- 9.) श्री हंस राज
- 10.) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
- 11.) श्री वीरेन्द्र कंवर
- 12.) श्री कृष्ण लाल ठाकुर
- 13.) श्री गोविन्द राम शर्मा

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)